बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-08080114 **ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि-25.12.2014**

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग के अन्तर्गत **मत्स्य प्रसार पदाधिकारी** के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

वेतनमान:-9300-34800/- ग्रेड-पे-4200/-

रिक्तियों की संख्या:- 62 (बासठ)

अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य
12	14	06	03	27

उपर्युक्त रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट-बढ़ सकती है ।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

चयन की प्रक्रिया:- सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा । 80 प्रतिशत अंकों की अधिमानता लिखित परीक्षा के लिए एवं 20 प्रतिशत अंकों की अधिमानता साक्षात्कार के लिए निर्धारित किया जायेगा । लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जायेंगे । लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी । लिखित परीक्षा के उपरान्त 100 अंकों का साक्षात्कार होगा । लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक- 16.07.2007 प्रभावी माना जाएगा ।

पाठ्यक्रम:-

UNIT-1 : Fishery resources and management and Fish Biology.

Classification and taxonomical characteristics of cultivable fisheries, crustaceans and molluses. Fresh water and pond ecosystem. Population dynamics, fish stock, abundance methods and analysis. Conservation and management of fishery resources. Impact of over exploitation and climate change on fisheries resources. Culture & Capture fisheries resources of Bihar & present status along its present production of fish and fish seed via-a-via supply & demand. Fin fish & shell fish anatomy and its various aspects of biology.

UNIT-2: Fish aquaculture.

Reproduction and breeding behaviour in fishes and shellfishes, brood stock improvement maturity and fecundity studies. Induced spawning methods and seed production, natural fish seed collection and rearing methods. Types of eggs

and development of larval stages of fin fishes and shellfishes. Prepratation and management of fresh water and brackish water fishponds. Cultivable species identification, introduction of exotic fishes in India. Culture methods: Pen and cage culture practices, carp and shrimp hatchery management, besis aspects of biotechnology & genetics in relation to fisheries. Fish disease and its control. Ornamental fish Breeding and its culture. Types of fish culture. Capture and culture fisheries in low lying water bodies.

UNIT-3: Ecology of water bodies.

Important limnological and biological parameters in relation to fisheries of lotic and lentic waters, biological productivity and its impact on fisheries. Environmental impact assessment on fisheries in lentic and lotic waters. Biological parameters including energy flow, community ecology and aquatic association, biodiversity and its conservation, aquatic pollution and its management.

UNIT-4: Harvest and post harvest technology.

Common crafts and gears used for fish capture. Boat building material and demerits of wood, steel, aluminium, Ferro cement and FRP. Different types of fibres and netting materials and their characteristics, preservation of netting, parts of a trammel net, purse-scene, gill net and tuna long line. Food chemistry, fundamentals of microbiology. General methods of fish preservation and fishery by products. Canning and packaging techniques, processing and product development techniques.

UNIT-5: Fisheries economics, extension & statisitics.

Introduction to fishery economics and concepts of cooperative, marketing and banking management. Supply v/s demand economics of hatchery management and fish culture operations. Profit maximization. Problems in estimating costs and returns in fisheries. Fisheries extension methods. Training and education needs in fisheries. Communication concepts, Modern tools of fishery extension education, participatory rural appraisal (PRA), Rapid rural appraisal (RRA), role of women in fisheries; Basics of statistics in fisheries and computer science.

विज्ञापन संख्या–09090114 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि–25.12.2014

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) विभाग के अन्तर्गत **मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक** के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

वेतनमान:–5200–20200/– ग्रेड–पे–2800/–

रिक्तियों की संख्या:– 61 (ईकसठ)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	सामान्य
10	01	11	08	01	30

उपर्युक्त रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट–बढ़ सकती है ।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:– बी.एस.सी. इन्डस्ट्रीयल फिशरीज (ऑनर्स) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलेण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में एक वर्षीय सर्टीफिकेट कोर्स ।

चयन की प्रक्रिया:– सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा । 80 प्रतिशत अंकों की अधिमानता लिखित परीक्षा के लिए एवं 20 प्रतिशत अंकों की अधिमानता साक्षात्कार के लिए निर्धारित किया जायेगा । लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जायेंगे । परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी । लिखित परीक्षा के उपरान्त 100 अंकों का साक्षात्कार होगा । लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक– 16.07.2007 प्रभावी माना जाएगा ।

मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पाठ्यक्रम:–

UNIT-1: Fishery resources and management & Fish Biology.

Classification and taxonomical characteristics of cultivable fisheries, crustaceans and molluses. Fresh water and pond ecosystem. Conservation and management of fishery resources. Impact of over exploitation and climate change on fisheries resources. Culture & Capture fisheries resource of Bihar & present status along its present production of fish and fish seed vis-a-vis supply & demand.

UNIT-2: Fish aquaculture.

Reproduction and breeding behaviour in fishes and shellfishes, brood stock improvement, maturity and fecundity studies. Induced spawning methods and seed production, natural fish seed collection and rearing methods. Types of eggs and development of larval stages of fin fishes and shellfishes. Preparation and management of freshwater fishponds. Cultivable species identification, introduction of exotic fishes in India. Culture methods: Pen and cage culture practices, carp and shrimp hatchery management. Fish disease and its control. Ornamental fish Breeding and its culture. Aquarium keeping, construction and maintenance. Types of fish culture. Capture and culture fisheries in low lying water bodies.

UNIT-3: Ecology of water bodies. Important limnological and biological paramenters in relation of fisheries of lotic and lenitc waters, biological productivity and its impact on fisheries. Biodiversity and its conservation, aquatic pollution and its management

UNIT-4: Post harvest technonogy.

General methods of fish preservation. Fishery by products.

UNIT-5: Fisheries econonics & extension.

Introduction to fishery economics, Demand & supply, concepts of cooperative & marketing management. Profit maximization. Problems in estimating costs and

returns in fisheries. Fisheries extension methods. Training and education needs in fisheries.

उम्र सीमा- (दोनों पदों के लिए)

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या-2530, दिनांक-29.06.2010 के अनुसार उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2014 के आधार पर की जायेगी । परन्तु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक-471, दिनांक-19.03.2014 के अनुसार मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के लिए वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.1999 को तथा मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद के लिए वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.1990 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा (अनारक्षित पुरूष-35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-37 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)-38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति (पुरूष एवं महिला)-40 वर्ष) धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे ।

न्यूनतम आयु- 21 (इक्कीस) वर्ष ।

अधिकतम आयु-(1) अनारक्षित (पुरूष)-37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)-40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)-42 वर्ष ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

आरक्षण :- उपर्युक्त दोनों पदों के लिए ।

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक- 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसेलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हे आरक्षण

का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नही किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

परीक्षा शुल्क :–

सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए 375/– (तीन सौ पचहत्तर रूपय) का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 100/– (एक सौ रूपये) परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 375/– (तीन सौ पचहत्तर रूपये) निर्धारित है । चालान जमा करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश एवं चालान की प्रति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी उपयोग में ला सकते है । निर्धारित शुल्क का चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में दिनांक–26.11.2014 से 22.12.2014 तक जमा किया जा सकता है ।

मेधा सूची–

उपर्युक्त दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

न्यूनतम अर्हतांक:–

सामान्य वर्ग – 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग – 36.5 प्रतिशत

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 34 प्रतिशत

अनुसूचित जाति/जन–जाति एवं महिला वर्ग – 32 प्रतिशत

उक्त न्यूनतम अर्हतांक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के लिए अलग–अलग लागू होगा ।

अन्य:–

(i) वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा । प्रवेश–पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो ।

(iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

अंतिम तिथि :–

ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26.11.2014 से 25.12.2014 की रात्रि 12 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट ***http://bssc.bih.nic.in*** पर भरा जा सकता है ।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।